



प्रेस नोट

थाना दोघट

दिनांक 02-08-2022

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 193/22 धारा 379 भादवि का सफल अनावरण करते हुए, 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी किये हुए 03 कृषि यंत्र (एक लेजर, एक गन्ना जोतने की मशीन व एक टीलर) व घटना में प्रयुक्त एक टाटा गाडी बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 01.08.2022 को थाना दोघट पर वादी श्री सत्यपाल पुत्र सुखबीर सिंह निवासी ग्राम बामनौली थाना दोघट जनपद बागपत ने सूचना दी कि दिनांक 16.07.2022 को दोपहर के समय अभियुक्त सागर पुत्र प्रमोद निवासी ग्राम बामनौली थाना दोघट जनपद बागपत द्वारा वादी की ट्यूबवैल से 03 कृषि यंत्र (एक लेजर, एक गन्ना जोतने की मशीन व एक टीलर) चोरी कर ली गयी है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 193/22 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

दोघट पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 193/22 धारा 379 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है । जिनके कब्जे से चोरी किये हुए 03 कृषि यंत्र (एक लेजर, एक गन्ना

जोतने की मशीन व एक टीलर) व घटना में प्रयुक्त एक टाटा गाडी न0 UP- 17AT- 8852 बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-सागर पुत्र प्रमोद निवासी ग्राम बामनौली थाना दोघट जनपद बागपत ।
2. रिहान पुत्र शहजाद निवासी ग्राम पिचौकरा थाना बिनौली जनपद बागपत ।
3. भूरा उर्फ रविन्द्र पुत्र संजय निवासी ग्राम दादरी थाना बिनौली जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी किये हुए 03 कृषि यंत्र (एक लेजर, एक गन्ना जोतने की मशीन, व एक टीलर)
- घटना में प्रयुक्त एक टाटा गाडी न0 UP- 17AT- 8852

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री रामकुमार ।
- 2-उ0नि0 श्री नकुल राठी ।
- 3-है0का0 276 उपेन्द्र ।
- 4-का0 951 पिताम्बर कुमार ।



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 02.08.2022

थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा लूट की झूठी सूचना देने वाले अभियुक्त को लिया हिरासत में जिसकी निशादेही पर गैस सलेण्डर सप्लाई के 31620/- रू0 नगद व मोबाइल फोन किया बरामद ।

संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही-

दिनांक 02/08/2022 को थाना सिंघावली अहीर पुलिस को सतीश गिरी पुत्र सुरेश कुमार निवासी ग्राम दत्तनगर थाना बालैनी जनपद बागपत द्वारा सूचना दी गयी कि एक बाईक पर सवार दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मेरी आँखों में सूखी मिर्च डालकर मुझसे गैस सलेण्डर सप्लाई के 31620/- रू0 व एक मोबाइल लूट लिये है । इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस द्वारा शिकायत कर्ता से पूछताछ, घटनास्थल का निरीक्षण व लोगो से मौके पर जाकर जानकारी की गयी तथा मेडिकल/सर्विलांस टीम आदि की मदद से पता चला कि सतीश गिरी द्वारा स्वयं ही लूट की झूठी सूचना दी है बाद पूछताछ सतीश गिरी की निशादेही पर गैस सलेण्डर सप्लाई के 31620/- रू0 नगद व मोबाइल बरामद हुआ है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार शिकायत कर्ता ने पूछताछ कर बताया कि मेरे ऊपर 01 लाख रुपये का कर्ज है जिन्हे मैं दे नहीं पा रहा था जिस कारण मैं मानसिक व आर्थिक रूप से परेशान हूँ इसी के चलते मैंने ही लूट की झूठी सूचना पुलिस को दी थी।

बरामदगी का विवरण -

- गैस सलेण्डर सप्लाई के 31620/- रू0 नगद।
- एक मोबाइल फोन।

हिरासत में लिये गये अभियुक्त का नाम व पता-

1-सतीश गिरी पुत्र सुरेश कुमार निवासी ग्राम दत्तनगर थाना बालैनी जनपद बागपत।

हिरासत में लेने वाली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 श्री नोवेन्द्र सिंह सिरोही थाना सिंघावली अहीर बागपत।
2. उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना सिंघावली अहीर बागपत।
3. उ0नि0 श्री रजत कुमार थाना सिंघावली अहीर बागपत।
4. का0 467 टिकू अधाना थाना सिंघावली अहीर बागपत।
5. का0 395 ललित रौसा थाना सिंघावली अहीर बागपत।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 02.08.2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 755/22 धारा 380/457 भादवि का सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किये हुए रुपये में से 8570/ रुपये नगद बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 29/07/22 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी श्री विपिन पुत्र श्री जयप्रकाश निवासी ग्राम काठा थाना कोतवाली बागपत ने सूचना दी कि दिनांक 27/28-07-22 की रात्रि को वादी की दुकान की दीवार तोडकर दुकान में रखे 01 लाख 60 हजार रुपये अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिये गये हैं व उसको अपने नौकर विनीत निवासी ग्राम काठा थाना कोतवाली बागपत पर शक है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 755/2022 धारा 380 भादवि बनाम विनीत(बाइस्तवा) के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था ।



उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान धारा 457 भादवि की बढौत्तरी की गई तथा अभियुक्त 1-सलमान पुत्र चांद निवासी मौ0 ईदगाह कस्बा व थाना कोतवाली बागपत व 2- मारु पुत्र उम्मेद निवासी बिलाल मदरसा के सामने एकता कालौनी कस्बा व थाना कोतवाली बागपत का नाम प्रकाश में आया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा द्वारा मु0अ0सं0 755/2022 धारा 380/457 भादवि का सफल अनावरण करते हुये एक अभियुक्त सलमान को

गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से चोरी किये हुए रूपये में से 8570/ रूपये नगद बरामद हुए हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. सलमान पुत्र चांद निवासी मौ0 ईदगाह कस्बा व थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

बरमादगी का विवरण-

- चोरी किये हुए रूपये में से 8570/ रूपये नगद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री दीपक कुमार
- 2-का0 698 विकास कुमार
- 3-का0 234 दीपक कुमार



प्रेस नोट

थाना दोघट

दिनांक 02.08.2022

थाना दोघट पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

1-मोहित पुत्र वीरपाल निवासी ग्राम रहतना थाना दोघट जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री नकुल राठी

2- का0 951 पिताम्बर कुमार



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 02.08.2022

थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा एक वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

जनपद बागपत पुलिस द्वारा जनपद मे अपराधों की रोकथाम व वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा एक वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारण्टी/ अभियुक्त का नाम व पता-

1. विक्की पुत्र जिले सिंह निवासी ग्राम शोभापुर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री रजत कुमार थाना सि0अहीर
2. का0 848 कुलदीप सिंह थाना सि0अहीर



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 02.08.2022

थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा एक वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

जनपद बागपत पुलिस द्वारा जनपद मे अपराधों की रोकथाम व वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा एक वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारण्टी/ अभियुक्त का नाम व पता-

1. इकराम पुत्र यासीन निवासी ग्राम भूरा थाना कैराना जनपद मुज्जफरनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री रजत कुमार थाना सि0अहीर
2. का0 406 रविन्द्र भाटी थाना सि0अहीर



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 02.08.2022

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 185/22 धारा 366/376डी
भादवि में प्रकाश में आये एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 185/22 धारा 366/376डी भादवि के प्रकाश में आये एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा पूर्व में एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.सुमित उर्फ सपाटा पुत्र प्रदीप निवासी ग्राम पूठड थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-प्र0नि0 श्री नोवेन्द्र सिंह सिरोही थाना सिंघावली अहीर बागपत

2-उ0नि0 श्री महेन्द्र सिंह चौहान थाना सि0 अहीर बागपत

3- का0 395 ललित रौसा थाना सि0 अहीर बागपत

4-का0 406 रविन्द्र भाटी थाना सि0 अहीर बागपत



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक 02.08.2022

थाना बडौत पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1-गुलजार पुत्र इमामुद्दीन निवासी ग्राम बिजरौल थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री कैलाशचन्द थाना बडौत
- 2- है0का0 322 राजकुमार थाना बडौत
- 3- हो0गा0 279 श्रीपाल थाना बडौत



प्रेस नोट

थाना बडौत

दिनांक 02.08.22

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 40 पच्चे अवैध देशी शराब बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 40 पच्चे अवैध देशी शराब ग्रैन्ड मस्ती उ0प्र0 मार्का बरामद हुई है।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- जयकुमार पुत्र चन्द्र कश्यप निवासी ग्राम ट्यौडी थाना बडौत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 40 पच्चे अवैध देशी शराब ग्रैन्ड मस्ती उ0प्र0 मार्का ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 श्री कृपेन्द्र थाना बडौत जनपद बागपत

2- का0 949 विकास तालान थाना बडौत जनपद बागपत



प्रेस नोट

थाना चाँदीनगर

दिनाँक 02.08.2022

**थाना चाँदीनगर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 90/22 धारा 323/506/352/307/325
भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 04.05.2022 को थाना चाँदीनगर पर वादी श्री सुनील कुमार पुत्र जगत सिंह निवासी ग्राम भगौट थाना चाँदीनगर जनपद बागपत ने लिखित सूचना दी कि अभियुक्त 1. कल्याण पुत्र सलेक 2. पप्पन पुत्र सलेक 3. मोनू पुत्र सलेक निवासी गण ग्राम भगौट थाना चाँदीनगर जनपद बागपत व एक व्यक्ति नाम पता अज्ञात द्वारा उसके भाई मनोज पुत्र जगत सिंह को जान से मारने कि धमकी देते हुए लाठी-डन्डो, लोहे की राड व अवैध असलाहों से जान से मारने की नियत से हमलाकर मारपीट की गई । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चाँदीनगर पर मु0अ0सं0 90/22 धारा 323/506/352/307/325 भादवि पंजीकृत किया गया था ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चाँदीनगर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 90/22 धारा 323/506/352/307/325 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. पप्पन पुत्र सलेक उर्फ सुरेशचन्द निवासी ग्राम भगौट थाना चाँदीनगर जनपद बागपत
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री धीरज कुमार थाना चांदीनगर, बागपत
- 2- का0 280 मनोज नागर थाना चांदीनगर, बागपत
3. का0 270 इमरान थाना चांदीनगर जनपद बागपत



प्रेस नोट

थाना छपरौली

दिनांक 02.08.2022

थाना छपरौली पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का नाम व पता:-

- 1-प्रशान्त उर्फ कल्लू पुत्र विनोद निवासी पट्टी धन्धान करबा व थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 2-दिशान्त उर्फ छोटू पुत्र विनोद निवासी पट्टी धन्धान करबा व थाना छपरौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ0नि0 श्री जयपाल सिंह
- 2-का0 1033 सुरजीत कुमार